



कार्यालय नगर परिषद, सीकर



श्री कल्याण नगर परिषद, भवन, राणी सत्ती रोड़, Pin 332001, Email:- sikarulb.jaipur@gmail.com

S. No. :- F.(11)/90A /2023-24/ 234

Date: 05.04.2023

—:अधिवास प्रमाण पत्र:—

सीकर शहर के नगरीय क्षेत्र के तहसील सीकर के राजस्व ग्राम सीकर के खसरा संख्या 1600 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1601 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2647/2643 रकबा 3.1168 हैक्टेयर में से रकबा 1.3387 हैक्टेयर (नवीन खसरा 2652/2647 रकबा 1.3387 हैक्टेयर) कुल रकबा 1.3887 हैक्टेयर अर्थात् 13887 वर्गमीटर किस्म गै0मु0 आबादी भूमि का राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन का निस्तारण किया जा चुका है। जिसके अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क की कार्यवाही एवं ले-आउट प्लान का अनुमोदन सक्षम स्तर से किया जा चुका है। विकासकर्ता द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवा दिया गया है एवं आन्तरिक विकास की एवज में 12.5 प्रतिशत भूखण्ड (भूखण्ड संख्या बी-48, बी-49, बी-50, बी-51, बी-52, बी-53, बी-54, बी-55, बी-56) जरिये डीड (100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित) नगर परिषद के पक्ष में Pludg(रहन) किये जा चुके हैं। अतः विकासकर्ता Pludg(रहन) किये गये भूखण्डों, भूखण्ड संख्या बी-48, बी-49, बी-50, बी-51, बी-52, बी-53, बी-54, बी-55, बी-56 को छोड़कर शेष भूखण्डों का अनुमोदित ले-आउट प्लान अनुसार बेचान करने के लिए स्वतंत्र हैं। भूखण्डों का जिन लोगों को बेचान किया जाता है, उनको निर्धारित प्रपत्र में प्रोविजनल पट्टा जारी कर आवंटियों की सूची नगर परिषद कार्यालय में 100/- रुपये के शपथ पत्र पर प्रस्तुत करें। इसके साथ-साथ उक्त योजना में आन्तरिक विकास अर्थात् सड़क, पानी, बिजली, ड्रेनेज आदि अपने स्तर पर विकसित करें। ये सुविधाएँ विकसित करने पर ही Pludg (रहन) किये गये भूखण्ड रिलिज किये जायेंगे। रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय/बेचान किया जाये।

प्राधिकृत अधिकारी एवं
आयुक्त
नगर परिषद, सीकर

Date: 05.04.2023

S. No. :- F.(11)/90A /2023-24/235-238

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. संबंधित जोन निरीक्षक, नगर परिषद, सीकर।
2. संबंधित सहायक/कनिष्ठ अभियंता, नगर परिषद, सीकर।
3. कृषि भूमि नियमन शाखा, नगर परिषद, सीकर।
4. विकासकर्ता/आवेदक 1. श्री देवकीनन्दन 2. श्री दरशथकुमार 3. श्री महेश कुमार 4. श्री रामातवार 5. श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्रगण श्री महावीर प्रसाद समस्त जरिये मुख्तयार श्री बनवारीलाल शर्मा पुत्र श्री मदनलाल शर्मा निवासी वार्ड न. 42, कमला कुंज, पिपराली रोड़, सीकर को प्रेषित कर लेख है कि आन्तरिक विकास के एवज में नगर परिषद के पक्ष में Pludg(रहन) किये गये 12.5 प्रतिशत भूखण्डों की सूची कॉलोनी में बोर्ड पर चस्पा करावें।

प्राधिकृत अधिकारी एवं
आयुक्त
नगर परिषद, सीकर

कार्यालय नगर परिषद, सीकर

S. No. :- F.(11)/90A /2023-24/233

Date: 5/04.2023

आवेदक 1. श्री देवकीनन्दन 2. श्री दरशथकुमार
3. श्री महेश कुमार 4. श्री रामातवार
5. श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्रगण श्री महावीर प्रसाद
समस्त जरिये मुख्तयार श्री बनवारीलाल शर्मा पुत्र श्री मदनलाल शर्मा
निवासी वार्ड न. 42, कमला कुंज, पिपराली रोड़, सीकर

विषय:- तहसील सीकर के राजस्व ग्राम सीकर के खसरा संख्या 1600 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1601 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2647/2643 रकबा 3.1168 हैक्टेयर में से रकबा 1.3387 हैक्टेयर (नवीन खसरा 2652/2647 रकबा 1.3387 हैक्टेयर) कुल रकबा 1.3887 हैक्टेयर अर्थात 13887 वर्गमीटर भूमि का कृषि से अकृषिक उपयोग (आवासीय) प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने बाबत।

प्रसंग:- निकाय स्तर पर गठित ले-आउट प्लान कमेटी की बैठक दिनांक 22.03.2023 के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गतलेख है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान को विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 3(50)यूडीएच/3/2012, प.3(90)नविवि/03/2012 दिनांक 21.06.2012 के नियम 31, 32 के तहत गठित ले-आउट अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 22.03.2023 के द्वारा निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किया जाता है:-

1. प्रकरण में आवासीय योजना का परीक्षण नगरीय विकास विभाग राजस्थान द्वारा जारी टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत किया गया है।
2. उक्त प्रकरण में प्रस्तुत योजना मानचित्र का हल्का पटवारी द्वारा योजना सीमा बिन्दू "ए,बी,सी,डी, ई, एफ" तक प्रमाणिकरण किया गया है।
3. उपर्युक्त स्वीकृत मानचित्र में प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार यानी पहुंच मार्ग मौके पर कायम किया जाने का दायित्व संबंधित आवेदक का रहेगा।
4. उक्त आवासीय योजना का कुल क्षेत्रफल 13887 वर्गमीटर है, जिसका निम्न प्रकार से भू-उपयोग निर्धारित किया जाना स्वीकृत किया जाता है:-

क्र.स.	भू-उपयोग	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्रतिशत
1	आवासीय	9028.82	65.01
2	सड़क	4700.89	33.85
3	पार्क	157.74	1.14
4	योग	13887.00	100

5. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के बिन्दू संख्या 11(IV) के प्रावधानुसार विक्रय योग्य भूखण्डों में से 12.5 प्रतिशत भूखण्डों को आन्तरिक विकास यथा सड़क, स्ट्रीट लाईट, जलापूर्ती, सीवरेज एवं ड्रेनेज, का कार्य निर्धारित समय सीमा में कराने की जिम्मेदारी संबंधित आवेदक की रहेगी, के पेटे निकाय द्वारा उपबंधित/रहन रखे जावेंगे एवं आमजन के जानकारी हेतु उक्त भूखण्डों की सार्वजनिक जानकारी का विवरण पट्टिका संबंधित कॉलोनी में लगावाया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी।
6. ले-आउट से संबंधित भूमि का मौके पर क्षेत्रफल या भूमि के स्वामित्व संबंधित पूर्ण होना या कम होने पर किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो नगर परिषद की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, संबंधित आवेदक की रहेगी।
7. आवेदित भूमि के आस-पास की पूर्व से अनुमोदित या 17.06.1999 से पूर्व की कोई कॉलोनी विकसित/ अवस्थित होने की दशा में उक्त में से आने वाली सड़कों की निरन्तरता यथा संभव

सुनिश्चित किया जाने की जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी एवं आवश्यक हुआ तो भूखण्डों का विक्रय/आवंटन करने से पूर्व ले-आउट में संशोधन करवाये जाने की जिम्मेदारी आवेदक की रहेगी।

8. प्रस्तावित योजना में पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण की दृष्टि से नियमानुसार वर्षा जल संग्रहण हेतु स्थापना करवाया जाने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की रहेगी।
9. प्रस्तावित योजना में विकासकर्ता द्वारा न्यूनतम 30 वृक्ष प्रति एकड़ के अनुसार सड़कों के दोनों ओर लगाये जाने होंगे।
10. प्रस्तावित योजना में भवन निर्माण से पूर्व भूखण्ड केता/आवंटी के द्वारा प्रचलित भवन निर्माण आज्ञा नियमों के तहत निर्माण से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ही निर्माण किया जा सकेगा।
11. रेरा (RERA) में रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरान्त ही भूखण्डों का विक्रय/बेचान किया जाये।

संलग्न:- स्वीकृत ले-आउट प्लान की प्रति।



(शशिकान्त शर्मा)

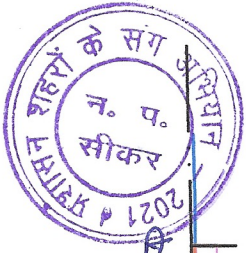
प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त
नगर परिषद, सीकर

"MADHAV VIHAR-2"

AMENDED LAYOUT PLAN OF KH.NO.1600, 1601, 2652, 2647, MADHAV VIHAR-2, NEAR VINAYAK VATIKA, SIKAR
REVENUE VILL. SIKAR

FOR 90-A AND RESIDENTIAL SCHEME

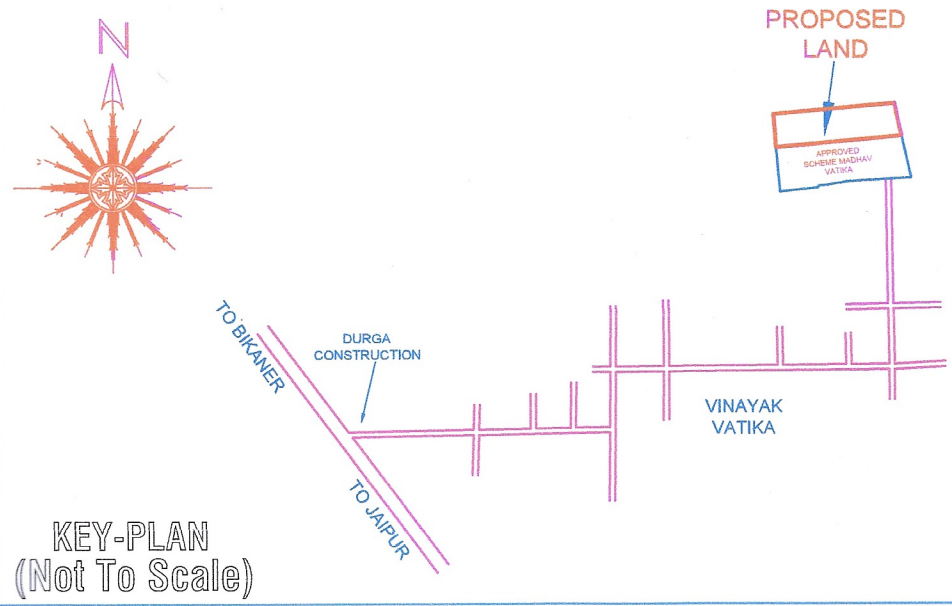
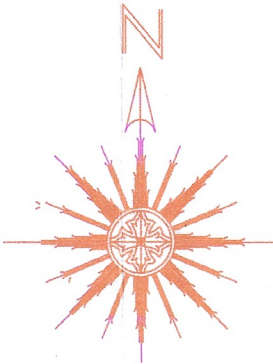
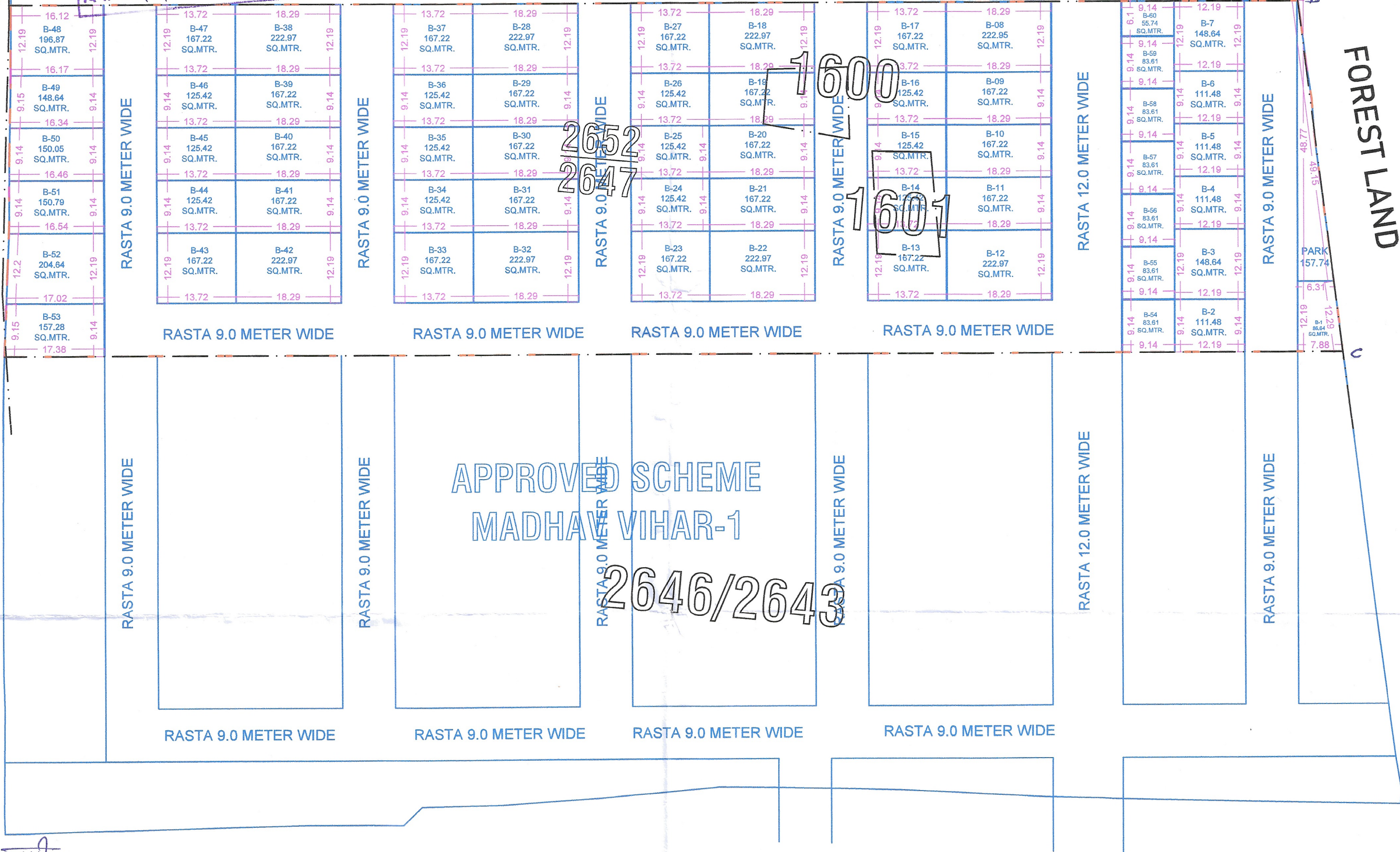
APPLICANT:- 1 DEVKINANDAN 2. DASHRATH KUMAR 3.MAHESH KUMAR 4. RAMAWATAR 5. SURENDRA KUMAR
ALL S/O MAHAVIR PRASAD THROUGH POWER OF ATTORNEY HOLDER:-BANWARI LAL SHARMA S/O MADAN
LAL, R/O WARD NO. 42 KAMLA KUNJ, PIPRALI ROAD, SIKAR(RAJ.)



नगर परिषद स्तरीय लेआउट प्लान कमेटी
की बैठक दिनांक 22.03.2023 में
अनुमोदित किया गया। कमेटी की बैठक का
कार्यवाही विवरण कार्यालय पत्रांक 18065
दिनांक 26.03.2023 किया गया।

KHASRA NO. 2653/2647

1599



AREA ANALYSIS			
S.N.	LAND USE	AREA (sq.mtr.)	%
1.	RESIDENTIAL	09028.82	65.01 %
2.	PARK	00157.74	01.14 %
3.	ROAD	04700.89	33.85 %
	TOTAL	13887.00	100.00 %

SCHEME PLOTS DETAIL		
1.	PLOTS	NO. PLOTS
2.	RESIDENTIAL	60

---	SCHEME BOUNDARY
---	B.T.ROAD
---	KHASRA LINE
---	PLOT BOUNDARY

NOTE : ALL DIMENSIONS ARE IN METER

DRAWING BY	JK CONSULTANCY 1st Floor, Sangam Tower, Opp. jaat boarding, Sikar 9928338794, 7891067650
------------	---

SCALE = 1:7

रिपोर्ट परबारी
भीमान्नी
मिशन है कि ले आउट में बिन्दुओं ABCDA से
प्रदर्शित भूमि इसका सीकर के सफल नक्शा लहवा से
(गोला) अनुकूल है।
प. श्रीहर

कनिष्ठ अभियन्ता
नगर परिषद, सीकर
सहायक नगर नियोजक
नगर परिषद, सीकर
आयुक्त
नगर परिषद, सीकर

AREA IN KH. NO.2652/2647=13387.00 SQ. MTR
AREA IN KH. NO.1600=200.00 SQ. MTR
AREA IN KH. NO.1601=300.00 SQ. MTR
APPLIED AREA FOR CONVERSION IN=13887.00 SQ. MTR